न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बापिणी

पीठासीन अधिकारीः—गजेन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— /2021

प्रार्थीः— खेताराम पुत्र श्री अलसाराम, जाति जाट निवासी सन्तोक नगर तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. जसाराम पुत्र श्री बागाराम
2. दलाराम पुत्र श्री बागाराम
3. मदाराम पुत्र श्री बागाराम
4. रामेश्वरलाल पुत्र श्री बागाराम
5. शेराराम पुत्र श्री बागाराम
6. ज्मना पत्नी श्री बागाराम

   सभी जाति जाट, निवासी सन्तोकनगर तहसील बापिणी, जिला फलोदी।
7. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. बैंक आउ।
8. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक आउ।
9. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक बापिणी।
10. श्रीमान् तहसीलदार बापिणी।

उपस्थित —

प्रार्थी की ओर से — अधिवक्ता श्री अशोक कुमार
अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ओर से— अधिवक्ता श्री गोपाराम मेघवाल
अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से —अधिवक्ता श्री महिराम विश्नोई
अप्रार्थी संख्या 6 से 8 अनुपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी।
अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

दिनांकः— 05.03.25

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी पटवार मण्डल ईशरू राजस्व ग्राम सन्तोक नगर के खेत खसरा नम्बर 157/1 रकबा 6.4750 हैक्टेयर की भूमि आयी हुई है। प्रार्थी की भूमि के चिपते ही अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 157 रकबा 6.4750 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 157/1 की भूमि तरमीम अप्रार्थीगण की भूमि से अलग की हुई है। प्रार्थी ने अपनी भूमि की तरमीम करवाकर हल्का पटवारी से अपने खेत का प्रमाणित नक्शा दिनांक 13.03.2018 को प्राप्त कर लिया था तथा नक्शे अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त किया हुआ है। प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नम्बर 157/1 का वर्तमान नक्शा हल्का पटवारी से दिनांक 08.01.2021 को लेने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के पूर्व में की गयी सही तरमीम को वर्तमान राजस्व रेकर्ड नक्शा में वस्तुस्थिति को बदल दिया गया है। प्रार्थी का दिनांक 13.03.2018 को लिये गये प्रमाणित नक्शे व वर्तमान दिनांक 08.01.2021 को लिया गया प्रमाणित नक्शा भिन्न–भिन्न है। दोनों नक्शा आपस में मेल नहीं खा रहे है। इसलिए प्रार्थी अपने खेत की तरमीम पूर्व में लिये गये नक्शा दिनांक 13.03.2018 के अनुसार पुनः सही करवाने के लिए हल्का पटवारी से निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने कहा कि तहसील ऑनलाईन होने पर सेग्रीगेशन के तहत सही कर दिया जावेगा तो प्रार्थी ने तहसीलदार बापिणी के सेग्रीगेशन कार्य पूर्ण होने का इन्तजार किया तहसील ऑनलाईन होने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.07.2021 को ऑनलाईन नक्शा निकलवाया गया तो देखा कि तरमीम को सही नहीं किया गया है प्रार्थी द्वारा हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो बताया गया कि तहसीलदार से आदेश करवाकर लेकर आओ तो तरमीम सही हो जावेगी। प्रार्थी तहसील बापिणी के समक्ष उपस्थित होकर तरमीम सही करने का निवेदन किया तो तहसीलदार बापिणी ने श्रीमान् न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 157/1 व अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 157 के मध्य की सीमा की वर्तमान में की गयी तरमीम को निरस्त की जाकर प्रमाणित नक्शा पी–35 क्रमांक 575 दिनांक 13.03.2018 के अनुसार पुनः सही कर शुद्ध किये जाने का आदेश तहसीलदार बापिणी को प्रदान करावें।

प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाराम मेघवाल का वकालात नामा पेश, अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री महिराम विश्नोई का वकालात नामा

पेश, अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी का वकालात नामा पेश हुआ तथा अप्रार्थी संख्या 1, 6 से 8 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट लेकर रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की तरमीम दुरस्त करने की अनुशंषा की।

बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध जवाब अप्रार्थी संख्या 10 व अन्य दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 157 व 157/1 की तरमीम पूर्व में नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम से भिन्न है जो दुरस्त की जानी न्यायोचित है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील बापिणी पटवार मण्डल ईशरू राजस्व ग्राम सन्तोक नगर में प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 157/1 रकबा 6.4750 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 157 रकबा 6.4750 हैक्टेयर बाबत् वर्तमान नक्शे में की गई गलत तरमीम के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 10 के जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बापिणी

आज दिनांक 05.03.25 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बापिणी